करों में हिस्सेदारी घटने से उम्मीदों को लगा झटका

केंद्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी करने की थी मांग

- हिस्सेदारी 7.87 फीसदी से घटाकर की 7.35
- सिंहस्थ पैकेज का दबाव बनाएगी सरकार

कन्हैया लोधी

भोपाल, 2 फरवरी. केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से राज्य सरकार की उम्मीदों को झटका लगा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ प्री बजट बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बड़ी मांगें रखी थी, वह पूरी होती नहीं दिख रही है. ऐसे में अब वित्त विभाग को मप्र के बजट को रि-डिजाइन करने की नौबत आ सकती है.

सबसे बड़ी बात ये कि केंद्रीय करों में मप्र के हिस्से को लगभग आधा फीसदी से भी अधिक घटा दिया गया है. वैसे तो मप्र ने केंद्रीय करों में मप्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10 फीसदी करने की मांग केंद्र सरकार से की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जो हिस्सा मिल रहा था, उसे भी कम कर 7.34 फीसदी कर दिया है. वहीं अब तक उसे 7.86 फीसदी तक हिस्सा मिल रहा था. इसका असर मप्र के बजट भी देखने मिल सकता है. अब तक राज्य सरकार प्राय: इस संबंध में बड़े दावे करती रही है कि केंद्रीय करों से मप्र को ठीक-ठाक हिस्सेदारी मिलती रही है, लेकिन हिस्सेदारी कम होने से वित्त विभाग के अफसरों ने भी चुप्पी साध ली है और प्रदेश के नये

बजट में नई व्यवस्था बनाने की कवायद में लग गए हैं. मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही 2300 करोड़ रुपए केंद्रीय करों से कम मिलेंगे, वहीं नये वित्तीय वर्ष से मप्र को प्रतिवर्ष कम से कम 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान झेलना पड़ेगा.

अब सिंहस्थ के लिए अलग से फंड की मांग करेगी राज्य सरकार: मप्र सरकार ने सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन में चल रहे विकास कार्यों के लिये 20 हजार करोड़ रुपए की पैकेज जारी करने की मांग केंद्र सरकार से की थी. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने प्री बजट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने ये मांग सबसे प्रमुखता से की थी, लेकिन केंद्रीय बजट में पैकेज के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया. इससे भी सरकार की उम्मीदों को झटका लगा है. यदि केंद्र से पैकेज नहीं मिला तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि अब सभी निर्माण कार्य राज्य सरकार को अपने संसाधन से करना होगा. राज्य सरका का दावा है कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन में 20 हजार करोड़ रुपए के कामों को पहले ही मंजूर कर दिया गया है और कई काम चल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर अधोसंरचना और सुविधाओं से जुड़े हुए हैं. बताया जा रहा है कि अब वित्त विभाग केंद्र से अलग फंड जारी करने की मांग करेगी. इसके लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी दी जाएगी.

पूंजीगत मद में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा लेकिन मामूली

केंद्र सरकार ने पूंजीगत मद में बढ़ोतरी की है. इस कारण मप्र को दो हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने की संभावना जताई जा रही है. मप्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 82 हजार 513 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूंजीगत व्यय 67 हजार 441 करोड़ रूपये से 22 प्रतिशत अधिक है. वहीं दूसरी तरफ वीबी-जी रामजी योजना में मप्र की हिस्सेदारी 10 से बढ़कर अब 30 फीसदी हो जाएगी, ऐसे में इस योजना के लिए राज्य सरकार पर पैसों का प्रबंध करना बड़ी चुनौती होगा. जल जीवन मिशन के तहत मप्र के अटके हुए 8 हजार करोड़ रुपए में से कितनी राशि मिलेगी, अभी ये भी तस्वीर साफ नहीं है. लिहाजा ऐसे में मिशन का काम अब मप्र सरकार के भरोसे पर ही चलेगा. यदि ये राशि नहीं मिली तो फिर सरकार का परेशानी बढ़ेगी. इससे मिशन के कामों के लिए भुगतान का संकट खड़ा हो सकता है. केंद्र सरकार की टियर टू और टियर थ्री शहरों के विकास के लिए बड़ी राशि का प्रावधान करने का फायदा ये होगा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरौली, रतलाम जैसे शहरों को अधोसंरचना के लिए भरपूर राशि मिल सकेगी.

उधना-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन

- संत हिरदाराम नगर एवं बीना स्टेशनों पर ठहराव

भोपाल,02 फरवरी. रेल यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 09093/09094 उधना-अयोध्या कैंट-उधना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इस ट्रेन से भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर एवं बीना स्टेशनों के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा.

गाड़ी संख्या 09093 उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को उधना से 07:25 बजे प्रस्थान कर संत हिरदाराम नगर 18:45 बजे एवं बीना 22:00 बजे पहुंचेगी तथा अगले दिन 10:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी. यह ट्रेन 13 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक चलेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 09094 अयोध्या कैंट-उधना स्पेशल प्रत्येक शनिवार को अयोध्या कैंट से 14:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन बीना 03:20 बजे एवं संत हिरदाराम नगर 05:55 बजे होते हुए 17:15 बजे उधना पहुंचेगी. यह ट्रेन 14 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक संचालित रहेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, सीहोर, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ सहित कुल 15 स्टेशनों पर ठहरेगी. ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर एवं जनरल कोच उपलब्ध होंगे.

अंतर कंपनी फुटबॉल प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल में एनसीएल बना विजेता

- एनसीएल की मेजबानी में पाँच दिवसीय कोल इंडिया अंतर कंपनी फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 2 फरवरी। एनसीएल की मेजबानी में आयोजित कोल इंडिया अंतर कंपनी फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन रविवार को जयंत परियोजना में पेनल्टी शूटआउट से एनसीएल की जीत के साथ हुआ।

कोल इंडिया अंतर कंपनी फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अत्यंत रोमांचक रहा, जिसमें एनसीएल की टीम ने ईसीएल को 3-2 से पराजित कर विजेता खिताब अपने नाम किया। निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुँचा, जहाँ एनसीएल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में कोल इंडिया सहित एनसीएल, एमसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआईएल एवं एससीसीएल की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता लीग-कम-नॉक आउट आधार पर खेली गई। समापन समारोह के अवसर पर एनसीएल के अध्यक्ष-सह.प्रबंध निदेशक बी साईराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर निदेशक मानव संसाधन मनीष कुमार निदेशक सहित अन्य मौजूद रहे ।समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएमडीए एनसीएल बी साईराम ने सभी खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना के लिए बधाई दी।

पेज एक का शेष

राहुल के बयान पर संसद में बवाल

सदन में बहस कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए. **राहुल ने किसी की नहीं सुनी :** स्पीकर और मंत्रियों की आपत्तियों के बावजूद राहुल गांधी अपने बयान पर कायम रहे. उन्होंने किताब को 100 फीसदी ऑथेंटिक बताया. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें ऐसा क्या है, जो उन्हें इतना डरा रहा है? अगर वे डरे हुए नहीं हैं, तो मुझे इसे पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए.

लोकसभा कल तक के लिए स्थगित: भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

बिना मूल्यों के जीवन की परिकल्पना भी मुश्किल है: आरपी

हिंडालको रेनुसागर में वैल्यूज मन्थ का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

अनपरा 2 फरवरी। हिंडाल्को रेनुसागर में फरवरी माह को वैल्यूज मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को पांच मूल्यों, ईमानदारी, जुनून, प्रतिबद्धता, सहजता, गति के प्रति सजग करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित की जाती है।

हिंडालको रेनुसागर के आवासीय परिसर स्थित आदित्य बिड़ला इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में आयोजित वैल्यूज मन्थ का शुभारंभ हिंडाल्को रेनुसागर के यूनिट हेड आरपी सिंह, एचआर हेड आशीष पांडेय एवं संचालन विभाग हेड मनीष जैन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात आदित्य बन्दना वैल्यू फ्लैग होस्टिंग, वैल्यू गान के साथ कार्यक्रम में गति प्रदान किया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि यूनिट हेड आरपी सिंह ने कहा कि बिना मूल्यों के जीवन की परिकल्पना भी मुश्किल है। हमारे संस्कार ही हमारे मूल्यों का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार संस्थान में काम करने के दौरान इन पांच मूल्यों को अपनाने से हम अपनी कार्यपद्धति को बेहतर बना सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं।

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र126 / भू-अर्जन / 2026 सतना, दिनांक 28/01/2026

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. - एक, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन : - (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना (ख) तहसील - उचेहरा (ग) नगर / ग्राम-गुढ़वा (घ) क्षेत्रफल - 0.1030हे0

क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जिता रकवा
1	महेन्द्र पिता बजरंगवली सिंह कुर्म पता गुढ़वा उचेहरा सतना	792/5	0.1200	0.1030
	योग			0.1030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितिरका के गोबरावं कला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार, एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

G-25213/25

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र. 129 / भू-अर्जन / 2026 सतना, दिनांक 28/01/2026

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. - एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना (ख) तहसील - उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - गोबरांवखुर्द (घ) क्षेत्रफल - 0.2084 हे0

क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	सुखेन्द्र सिंह पिता लल्ली सिंह सा0 देह भुमि स्वामी	212/1	0.1404
2	हर्ष सिंह ना0पिता ददन सिह संरक्षक पिता ददन सिंह सा0 देहभुमि स्वामी	381/1	0.0680
	योग रकबा हे. में-		0.2084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितिरका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीस कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

G-25236/25

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र. 134/ भू-अर्जन / 2026 सतना, दिनांक 28/01/2026

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. - एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना (ख) तहसील - उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - अकही (घ) क्षेत्रफल - 0.0520 हे0

क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	ओंकार प्रसाद पिता रामकृष्ण गर्ग सा0 सतना भुमिस्वामी	208/2/2/1	0.0100
2	ओंकार प्रसाद पिता रामकृष्ण गर्ग सा0 सतना भुमिस्वामी	218/2/2/1	0.0210
3	बाल्मीक पिता भइयालाल लोधी सा0 नौगवां भूमिस्वामी	159	0.0210
	योग		0.0520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।
(3)भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-25215/25

SBI भारतीय स्टेट बैंक शाखा 10534 देवसर के लिए

व्यवसायिक परिसर आवश्यकता

क्र.	शाखा का नाम	क्षेत्र जहां परिसर की आवश्यकता है	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गफुट
01	देवसर	वर्तमान शाखा से 200 मीटर से 1 कि.मी.के अन्दर	2000-3000 वर्गफुट

1. भवन में बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे होनी चाहिए।
2. भवन व्यावसायिक स्थान पर अच्छी लोकेशन पर स्थित हो एवं मुख्य मार्ग पर स्थित भवन को प्राथमिकता ।
3. भवन के अधिकार से संबंधित स्वत्व विलेख टायटल डीड क्लीयर हो।
4. भवन को प्रारम्भ में कम से कम 10 वर्षों हेतु किराये पर देने तत्पश्चात्त प्रत्येक 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण हेतु सहमति
5. भवन में विद्युत का 30-70 कि.वा.लोड क्षेत्रफल अनुसार 3 फेस कनेक्शन भवन स्वामी को स्वंय के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
6. भवन के व्यवसायिक कार्य हेतु किराये पर देने की सभी वैधानिक/शासकीय अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
7. भवन परिसर में बैंक की आवश्यकता अनुसार एवं मापदंडों द्वारा सिबिल विद्युत निर्माण/सुधार कार्य करवाने होगें।
8. भवन के साथ समुचित पार्किंग कवर्ड ओपन होना आवश्यक है।

उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर निविदा पत्र (तकनीकी एवं मूल बोली) शाखा एसबीआई देवसर से प्राप्त कर दो अलग-अलग लिफाफे में रखकर दोनों लिफाफों को सीलकर एक बड़े लिफाफे में रखकर दिनांक 02.02.2026 से 08.02.2026 दोपहर 3 बजे तक एस. वीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय क्षेत्र-रीवा फ्लेवर्स होटल के पीछे सिरमौर चौराहे के पास रीवा म.प्र. पिन 486001 या शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा देवसर 486881 में जमा कर सकते हैं। प्रस्ताव के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से संबंधित शाखा भवन हेतु प्रस्ताव एवं जमा करने वाले का नाम, पता, मोबाईल नम्बर लिखा होना चाहिए।

नोट बैंक को सभी या किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक, RBO-6 रीवा

कार्यालय नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास खनुआ जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्र./ 43/ बालिका शिक्षा/2026 खनुआ, दिनांक: 02.02.2026

सत्र 2026-27 हेतु नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास खनुआ के लिये आवश्यक सामग्री एवं खाद्यान्य सामग्री प्रदाय हेतु निविदा

संदर्भ:- समीक्षा बैठक दिनांक 16.01.2026 में दिये गये निर्देश

विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार भण्डार क्रय नियम के पालन हेतु शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन दिनांक 26.01.2026 के उपरांत छात्रावास में बालिकाओं को उपयोग हेतु आवश्यक सामग्री एवं खाद्यान्य सामग्री के दर प्रदाय हेतु निविदा का प्रकाशन किया जाता है। आवश्यक सामग्रियों की सूची कार्यालयीन समय में छात्रावास से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्तानुसार सत्र 2026-27 में छात्रावास में सामग्री उपलब्ध करायें जाने हेतु इच्छुक फर्म प्रदाय सामग्री एवं दर का विवरण दिनांक 25.02.2026 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदा निविदाकारों के समक्ष दिनांक 26.02.2026 को शाला प्रबंधन समिति के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी प्रकार की विवाद के स्थिति में शाला प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

वार्डन
नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास
खनुआ, जिला सिंगरौली म.प्र.

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रंजीत केवट पिता भारत प्रसाद केवट निवासी कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना का निवासी हूं मेरे आधार कार्ड में भूल बस मेरा नाम रंजीत कुमार पिता भारत प्रसाद अंकित हो गया है जो गलत है जबकि मेरा सही नाम रंजीत केवट पिता भारत प्रसाद केवट है अत: आज से मेरा नाम रंजीत केवट पिता भारत प्रसाद केवट के नाम से लिखा पढ़ा व कहा जाए

नाम सुधार सूचना

मै राजेन्द्र केवट पिता श्री जय लाल केटव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम इटमा पोस्ट सितपुरा तह.नागौद जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना है जिसका क्रमांक MP19 202020119287 है जिसमें मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद केवट (Rajendra Prasad Kewat)दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राजेन्द्र केवट (Rajendra Kewat) दर्ज है जो कि सही है अत: मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में दर्ज नाम राजेन्द्र प्रसाद केवट (Rajendra Prasad Kewat) के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र केवट (Rajendra Kewat) दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

एन.आई.टी. क्रमांक 470/ई टेंडरिग/ सीधी, दिनांक 30 जनवरी 2026

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में अथवा अन्य पंजीकृत ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_479483_1 दिनांक 02.02.2026	फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी एवं कार्यक्रम के लाइव/वर्चुअल प्रसारण (समस्त उपकरणों के साथ वीडियो-आडियो सेटअप संचालन/प्रदर्शन सहित सम्पूर्ण कार्य।	(1) 12 माह (2) 03.50 लाख	(1) 2000.00 (2) 10500.00	23.02.2026
2	2026_UAD_479485_1 दिनांक 02.02.2026	साउंड एवं झालर किराया सामग्री आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 04.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 12000.00	23.02.2026
3	2026_UAD_479487_1 दिनांक 02.02.2026	प्रिटिंग सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 04.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 12000.00	23.02.2026
4	2026_UAD_479489_1 दिनांक 02.02.2026	स्टेशनरी सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 05.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 15000.00	23.02.2026
5	2026_UAD_479491_1 दिनांक 02.02.2026	टेन्ट सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 10.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 30000.00	23.02.2026
6	2026_UAD_479492_1 दिनांक 02.02.2026	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 15.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 45000.00	23.02.2026
7	2026_UAD_479495_1 दिनांक 02.02.2026	सबमर्सिबल मोटर पम्प क्रय/मरम्मत कार्य।	(1) 12 माह (2) 15.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 45000.00	23.02.2026
8	2026_UAD_479496_1 दिनांक 02.02.2026	टायर, व्यूब एवं बैट्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 15.00 लाख	(1) 2000.00 (2) 45000.00	23.02.2026
9	2026_UAD_479497_1 दिनांक 02.02.2026	जलप्रदाय मरम्मत सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 25.00 लाख	(1) 5000.00 (2) 75000.00	23.02.2026
10	2026_UAD_479499_1 दिनांक 02.02.2026	सफाई व्यवस्था सम्बंधी सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 25.00 लाख	(1) 5000.00 (2) 75000.00	23.02.2026
11	2026_UAD_479500_1 दिनांक 02.02.2026	सड़क प्रकाश व्यवस्था हेतु मरम्मत सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 25.00 लाख	(1) 5000.00 (2) 75000.00	23.02.2026
12	2026_UAD_479501_1 दिनांक 02.02.2026	सड़क प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 25.00 लाख	(1) 5000.00 (2) 75000.00	23.02.2026
13	2026_UAD_479502_1 दिनांक 02.02.2026	निर्माण सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 25.00 लाख	(1) 5000.00 (2) 75000.00	23.02.2026
14	2026_UAD_479503_1 दिनांक 02.02.2026	पेंटिंग कार्य, वृक्षारोपण एवं पार्कों में उपयोग हेतु सामग्री क्रय/आपूर्ति कार्य।	(1) 12 माह (2) 25.00 लाख	(1) 5000.00 (2) 75000.00	23.02.2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीधी

समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय, जिला एवं सत्र न्यायालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.)

आपसी समझौता एवं सहमति पत्र

छोटेलाल शाह पिता स्व. कंचन प्रसाद शाह, उम्र-49 वर्ष, निवासी ग्राम-मुहेर, वार्ड नं. 02, लक्ष्मीबाई पोस्ट-गोरबी, थाना-मोरवा, स्थायी पता ग्राम-गनियारी, वार्ड नं. 41, पोस्ट व थाना-बैढ़न, तहसील-सिंगरौली (नगर) जिला सिंगरौली (म.प्र.) आधार नं. 9277 7195 9146

.........**प्रथमपक्ष**

राजेश कुमार साकेत पिता श्री रामकिसुन साकेत, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम-मुहेर, वार्ड नं. 02, लक्ष्मीबाई पोस्ट गोरबी, थाना-मोरवा, स्थायी पता ग्राम-भाड़ी, पोस्ट-खुटार, थाना-बैढ़न, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.) आधार नं. 4964 6378 9116

.........**द्वितीयपक्ष**

आज दिनांक 02.02.2026 को यह आपसी समझौता पत्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हेतु हम उभयपक्षों के मध्य निम्नांकित आधारों पर निष्पादित कराया जा रहा है:- (1) यह कि हम उभयपक्ष उपरोक्त पते के निवासी हैं तथा पार्टनरशिप फर्म एक्सेस विल्डर्स इन्डस्ट्रीज, पता प्लाट नं. 341, ग्राम-गनियारी, पोस्ट व थाना-बैढ़न, तहसील सिंगरौली (नगर) जिला-सिंगरौली (म.प्र.) नामक फर्म के पार्टनर/भागीदार/संस्थापक है। (2) यह कि हम उभयपक्ष के मध्य दिनांक 27.03.2023 को भागिता विलेख का संशोधन कराया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है, जिसके अनुसार दोनों भागीदारों/पार्टनरों के संयुक्त हस्ताक्षर कर एवं दोनों पार्टनरों/भागीदारों के नाम से जारी दस्तावेज लगाकार फर्म के नाम सम्पत्ति क्रय-विक्रय एवं अन्य कार्य किये व कराये जा रहे है। (3) यह कि हम उभयपक्ष के फर्म से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज भागिता विलेख दिनांक 10.08.2017 से आज दिनांक तक भागिता विलेख संशोधनों, शपथ पत्रों, आपत्तियों, फर्म लेटर पैडों पर एवं समझौता पत्रों का निष्पादन कराया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया है, उक्त को श्रीमान् असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार महोदय, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें रीवा (म.प्र.) के समक्ष उपस्थित होकर उक्त दोनों पार्टनरों में से कोई भी एक पार्टनर उपस्थित होकर लिस्ट दस्तावेज जमा कर सकता है। जिस बावत् यह समझौता पत्र सहमति हेतु निष्पादित कराया जा रहा है। लिहाजा यह आपसी समझौता पत्र सहमति हेतु हम उभयपक्ष अपने-अपने शुद्ध चित्त व स्थिर बुद्धि से दो भले गवाहो के समक्ष लिखा दिये व अभिप्रमाणित करा दिये कि प्रमाण रहे वक्त जरूरत पर काम आये।,

बैढ़न/दिनांक 02.02.2026 **हस्ता. प्रथमपक्ष ....**
हस्ता. गवाह:- **हस्ता. द्वितीयपक्ष................**

कार्यालय सिंगरौली विकास प्राधिकरण जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / 44 / सि.वि.प्रा/2026 सिंगरौली दिनांक 29.01.2026

भू-स्वामी अधिकार अन्तर्गत निविदा विज्ञप्ति (प्रथम आमंत्रण)

सिंगरौली विकास प्राधिकरण की पण्डित दीनदयाल आवासीय योजना पंजरेह में स्थित 45 आवासीय भूखण्डों की निविदाऐ (बोली के आधार पर) दिनांक 02.02.2026 से दिनांक 17.02.2026 को शाम 5.00 बजे तक ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 2000+GST निर्धारित है।

क्र.	श्रेणी/ भूखण्ड क्रमांक	भूखण्डो/इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	आरक्षण श्रेणी की यदि आरक्षित हो	व्ययन का आधार	भूखण्ड /इकाई की आरक्षित मूल्य	प्रतिभूति राशि
01	A-3,A-4,A-6,A-7,A-9,A-23 A-24,A-29,A-32,A-34,A-38 A-40,A-42,A-46,A-44	आवासीय	139.2	अनारक्षित	लीज पर	1615626	161563
02	A-5,A-31	आवासीय	139.2	अ.जा. पुरुष	लीज पर	1615626	161563
03	A-22	आवासीय	139.2	अ.जा. महिला	लीज पर	1615626	161563
04	A-8,A-37,A-41,	आवासीय	139.2	अ.ज.जा पुरुष	लीज पर	1615626	161563
05	A-43	आवासीय	139.2	अ.ज.जा महिला	लीज पर	1615626	161563
06	A-28,	आवासीय	139.2	अ.पि.वर्ग पुरुष	लीज पर	1615626	161563
07	A-47,	आवासीय	139.2	अ.पि.वर्ग महिला	लीज पर	1615626	161563
08	A-30	आवासीय	139.2	बु.श्र. पत्रकारो	लीज पर	1615626	161563
09	A-33	आवासीय	139.2	स्वत्र.स. सेनानी	लीज पर	1615626	161563
10	A-39	आवासीय	139.2	से.अधि./भू.पू.सै.	लीज पर	1615626	161563
11	A-45	आवासीय	139.2	प्रा. अधि.कर्म,	लीज पर	1615626	161563
12	A-2	आवासीय	139.2	विकलांग	लीज पर	1615626	161563
13	B-7, B-8, B-9,B-11, B-13, B-15, B-17, B-19,B-20, B-22	आवासीय	115.9	अनारक्षित	लीज पर	1345194	134519
14	B-16	आवासीय	115.9	प्रा. अधि. कर्म	लीज पर	1345194	134519
15	B-10,B-14	आवासीय	115.9	अ.जा. पुरुष	लीज पर	1345194	134519
16	B-12,B-18	आवासीय	115.9	अ.ज.जा पुरूष	लीज पर	1345194	134519
17	B-21	आवासीय	115.9	विकलांग	लीज पर	1345194	134519

समय सारणी

ऑनलाईन पंजीयन प्रारंभ दिनांक एवं समय	02.02.2026 समय सुबह 10.00 बजे से
ऑनलाईन पंजीयन अंतिम दिनांक एवं समय	17.02.2026 समय साय 5.00 तक
ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	17.02.2026 समय दोपहर 5.00 तक
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	18.02.2026 समय दोपहर 12.00 बजे से

भू-स्वामी अधिकार अन्तर्गत निविदा जारी की जाती है। निविदा की स्वीकृति होने पर ही नियमानुसार मांग राशियां जमा करवाना होगी। विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार के संशोधन वेबसाईट पर ही जारी किये जाएगें। निविदा की विस्तुत जानकारी हेतु सिंगरौली विकास प्राधिकरण के सम्पदा शाखा में अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट: प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक की दर ही स्वीकार की जावेगी। किसी भी दशा में निर्धारित न्यूनतम दर से कम की दर स्वीकार नही की जावेगी। कार्नर के भूखण्डों हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त देयक होगा। जिसका पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। अन्य आवश्यक जानकारियों हेतु https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in पर देखे।

सम्पदा अधिकारी
सिंगरौली विकास प्राधिकरण, जिला सिंगरौली (म0प्र0)